उत्तरी रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली

बनाम

पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड

(सिविल अपील नम्बर 5067/2008)

18 अगस्त 2008

(डॉ अरिजीत पसायत, पी. सदाशिवम और आफताब आलम, जे.जे)

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम,1996- धारा 11 एवं 11 (6)-

मध्यस्थों की नियुक्ति- विस्तार- निर्धारित किया गयाः न्यायालय को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदत्त किये गये उपचार उपयोग में ले लिए गए - तथा जो नही किये गये उसे करने के लिए कहा जा सकता है। समझौते की शर्तो को प्रभाव देना होगा - मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था को आवश्यक उपाय करने होगें जब तक कि मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया पर समझौता नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए नही हो जाता, यह आज्ञापक नही हैं कि नामित मध्यस्थ ही नियुक्त हो - मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए योग्यता को एवं अन्य शर्ते, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवश्यक हो, को उचित स्थान दिया जाना चाहिए अन्यथा मध्यस्थ की नियुक्ति असुरक्षित होगी-

उपरोक्त तथ्यों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रावधानों पर विचार नही किया गया- जिससे नियुक्ति अपास्त की जाती हैं- मामलें को नई नियुक्ति हेतु वापिस प्रेषित किया जाता हैं,-

धारा 11 (6) मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम के अन्तर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा ऐस पाईप लाईन कान्ट्रेक्ट (प्रा.) लिमिटेड़ बनाम भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड़ 2007 (5) (एससीसी) 304 एवं भारत संघ बनाम भारत बेट्री

मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी प्रा0 लि0 2007 (7) एससीसी 684 में भिन्न मत दिया गया हैं। भारत बेट्री के मामले में ऐस पाईप लाईन का निर्णय बेंच के समक्ष नही रखा गया, इसलिए वहां भ्रम की स्थिति थी इसलिए वर्तमान अपीलें वृहद पीठ को भेजी गयी।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया कि-

1:- मध्यस्थ की नियुक्ति के सम्बन्ध में माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उपधारा (3)से (5)में यह प्रावधान हैं कि जहां कोई सहमत प्रक्रिया नही हैं। उप धारा (2) यह प्रावधित करती हैं कि उप धारा (6) के प्रावधानों के अधीन पक्षकार स्वतंत्र हैं कि वे मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सहमत हो सकते हैं। उप धारा (6)उन प्रासंगिकताओं को बताती हैं, जिसमें पक्षकार मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था से आवश्यक उपाय करने के लिए कहते है जब तक कि अन्य साधनों से मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित नही हो जाती। प्रासंगिकता जो उप धारा (6) में वर्णित हैं -

(क) कोई पक्षकार उस प्रक्रिया के तहत अपेक्षित रूप में कार्य करने में विफल रहता हैं या,

(ख) पक्षकार अथवा दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के अधीन उनसे अपेक्षित किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते है या,

(ग) कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई संस्था है,उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी कृत्य का निष्पादन करने में विफल रहता हैं,

तृतीय आकस्मिकता पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के समबन्ध में किये गये समझौते से सम्बन्धित नही हैं। (पैरा-9) (223,एच, 224,ए-सी)?

2:- उपधारा (6) में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति यह है कि एक पक्षकार मुख्य

न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा संस्था से आवश्यक उपाय करने हेतु अनुरोध कर सकता हैं। इस अभिव्यक्ति को उप धारा (8) में वर्णित प्रावधानों के साथ पढ़ना उचित होगा कि, मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दो शर्तो को साथ में ध्यान में रखना होगा, मध्यस्थ की योग्यता एवं अन्य शर्ते जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुनिश्चित करें। (पेरा-10) (224, डी-इ)

3:- धारा 11 में वर्णित प्रावधानों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि धारा 11 में समझोते की शर्तों की पालना करने को महत्व दिया गया है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय वह करने के लिए कह सकता हैं जो नहीं किया गया हैं। न्यायालय को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपलब्ध उपाय समाप्त हो गए हैं, मुख्य न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नही है कि उनके द्वारा या उनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा संस्था नामित मध्यस्थ एवं मध्यस्थों को नियुक्त करे लेकिन साथ ही उन्हें समझोते के अनुसार मध्यस्थ की योग्यता एवं अन्य बातों को ध्यान में रखना होगा। अभिव्यक्ति 'उचित सम्मान' का अर्थ हैं कि विभिन्न परिस्थितियों को सावधानी पूर्वक ध्यान में रखा गया। अभिव्यक्ति ''आवश्यक'' के संबंध में सामान्य नियम के तौर पर यह कहा जा सकता है कि वे वस्तुए जो अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उचित एवं कानूनी तौर पर सहायक हो। आवश्यक मापदंडों के बारे में कहा जा सकता है वो समुचित उपाय व कदम जो उठाए जाने जरूरी है। (पैरा 11 और 12) (224, एफ-जी; 225 ए-बी)

4- उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए समझोते में प्रावधित मध्यस्थ की योग्यता एवं अन्य बातों का सम्यक ध्यान नही रखा । मध्यस्थ समझोते में अंकित मध्यस्थ या मध्यस्थों को नियुक्त किया जाना आज्ञापक नही है लेकिन नियुक्ति के समय धारा-11 की उपधारा 8 में

वर्णित दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए व विचार में लिया जाए। यदि ऐसा नही किया जाता है तो मध्यस्थ की नियुक्ति असुरक्षित हो जाती है। उपरोक्त परिस्थितियों में हम प्रत्येक केस में नियुक्ति को अपास्त करते है एवं मामलें को उच्च न्यायालय के पास निर्धारित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए नवीन नियुक्ति के लिए प्रतिप्रेषित करते है। (पैरा 13)(225, बी-डी)

ऐसे पाईपलाईन कान्ट्रेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड 2007 (5)एससीसी 304; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत बैटरी मैनुफेक्चरिंग कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड़ 2007 (7) एससीसी 684 प्रस्तुत किये न्यायिक दृष्टांत

2007 (5) scc 304 संबंधित para 2

2007 (7) scc 684 संबंधित para 2

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5067 ऑफ 2008

दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के एए संख्या 189 मे पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.05.2006 से

संलग्न

सिविल अपील- संख्या 5068, 5069,5071-5076 एवं 5078-5085/2008

बी. दत्ता विकास सिंह, अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल, नरीश एन साल्वे, एन रॉय, आशा जी. नैयर, रजनी ओहरी, अनिल कटियार, सुनिल रॉय, ड.एस. महरा, संजय कपुर, शुभ्रा कपूर, राजीव कपूर, आरती सिंह, विवेक किशोर, रूचि गौड़ नरूला, संगीता भाटी, अरविन्द कुमार, रेखा पाण्ड़े, राकेश गग्गड़, वी. भण्ड़ारी, एम. यूनुस मलिक, डी.एस. महरा, ए.तारीक - अपीलार्थी की ओर से

अशोक देसाई, पी. कृष्णामूर्ति, रत्नाकर दश, आशिष ढोलकिया, आदर्श प्रियदर्शनी, सुमिता हजारिका, विल्स मैथ्यूज, जी.के. जोस, डी.के. तिवारी, एम.के. मिच्छेल, पी.के. घोष, अमलां घोष, अजीत कुमार पण्ड़ा, टी.एस. आहूजा, अरूण अरोड़ा, के.जी. भगत, विनीत भगत, मनोहर सिंह बक्षी, मंजू भगत, इहराज जफर, देबाशिष मिश्रा एवं अजित कुमार पांड़े - प्रत्यर्थीगण की ओर से

न्यायालय द्वारा न्यायाधीश डॉ अरिजीत पसायत, जे ने निर्णय पारित किया।

1- सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी गई।

2- ऐस पाईपलाइन कान्टेक्ट्स (पी) लिमिटेड़ बनाम भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड़ (2007(5)एससीसी 304) और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी (प्राईवेट) लिमिटेड (2007 (7)एससीसी 684) में इस न्यायालय द्वारा पारित दो भिन्न निणर्यों के कारण मामले को बड़ी बेंच को भेजा जाने पर उक्त प्रकरण हमारे सामने प्रस्तुत हुए है।

3- दोनो निर्णयों में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न था। भारत बैटरी के मामले (सुप्रा) में ऐस पाईपलाइन के मामले (सुप्रा) के फैसले को स्पष्ट रूप से बेंच के सामने नहीं लाया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। जैसा कि ऊपर उल्लेखित है इन मामलों में मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 11 (6) का प्रभाव एवं विस्तार को विचार में लिया जाएगा।

(4) श्री हरीश एन सालवे जो कि कुछ पक्षकारों की तरफ से उपस्थित है एवं श्री बी दत्ता अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल का कथन रहा है कि धारा 11(6) का प्रभाव एवं दायरे को धारा 28(3) एवं धारा 34 की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विचार में लिया जाएगा उनके अनुसार सहमत प्रक्रिया जो की धारा 11 की उपधारा 2 में प्रावधित

है का अपवाद उपधारा 6 में है तात्पर्य है कि जहां सहमत प्रकिया विफल हो जाती है या जहां कोई सहमत प्रक्रिया नहीं है वहां धारा 11 की उपधारा 3, 4 और 5 प्रभाव में आएंगी। उल्लेखनीय है कि धारा 11 की उपधारा 6 में तीन खंड है। खंड (सी) जहां व्यक्ति जिसमें संस्था समाहित है उसको सौपें गए कार्य को करने एवं पक्षकारों द्वारा सहमत प्रक्रिया के तहत कार्य करने में असफल रहने से संबंधित है। दूसरे शब्दों में खंड (ए) पक्षो को समझौते के लिए संबोधित करता है।

खंड (सी) व्यक्ति समझौते का पक्षकार नही है उससे संबंधित है जिसने समझौते के प्रति अपनी सहमति दी है। यह भी उल्लेखित किया गया है कि यह वैधानिक आदेश है एवं आवश्यक उपाय इस बाबत किए जाये जब तक की समझौता प्रक्रिया के द्वारा नियुक्ति हेतु अन्य उपाय नहीं किए जाए। अतः यह भी कथन किया है कि विकल्प के साधनों का प्रयोग तब किया जाए जब समझौता प्रक्रिया का उपयोग कर लिया गया हो। समझौते को प्रभाव दिया जावें एवं समझौते को जहां तक संभव हो सके मान्यता दी जाए। सुधारात्मक कदम उपयोग मे लिये जाए एवं न्यायालय अन्तिम उपाय हो। यह भी उल्लेखित किया गया है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के समय धारा 11 की उप धारा 8 के अनुसार पक्षकारों द्वारा समझौते में उल्लेखित योग्यता एवं अन्य शर्ते जो की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवश्यक हो उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि दोनो ही शर्ते समान रूप से लागू होती हैं। अतः न्यायालय को सीधे ही नियुक्ति नही की जानी चाहिए तथा पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रावधित उपचार उपयोग कर लिया गया हैं एवं न्यायालय उनसे वह करने के लिए कह सकती हैं, जो नही किया गया हैं।

5- प्रत्युत्तर में, मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले कुछ पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक देसाई ने कहा कि अभिव्यक्ति 'उचित सम्मान' कुछ कारको से सम्बन्धित हैं जिन पर विचार किया जाना हैं और यह

आज्ञापक नही हैं कि धारा 11 की उपधारा (8) में उल्लेखित योग्यताएं और अन्य बातों का लागू किया जावें। जहां तक मापदंड़ो को लागू करने की बात हैं, यह विचारणीय प्रश्न हैं।

6- मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में 'पुराना अधिनियम') के तहत पहले की योजना के संदर्भ में यह प्रावधित है कि नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध को इनकार करने के कारण पक्षकार को अदालत में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा और इसलिए, अदालत धारा 11 की उपधारा (8) के अनुसार किसी भी नामित मध्यस्थ को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

7- धारा 11 इस प्रकार हैं-

"मध्यस्थों की नियुक्ति" (1) किसी भी राष्ट्रीयता का कोई व्यक्ति, जब तक की पक्षकारो द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, मध्यस्थ हो सकता हैं।

(2) उपधारा (6) के अधीन रहते हुए पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थों को नियुक्त करने के लिए किसी प्रकिया पर करार करने के लिए स्वतंत्र है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी करार के न होने पर, तीन मध्यस्थों वाले किसी मध्यस्थ में, प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दो नियुक्त मध्यस्थ ऐसे तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेगें जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।

(4) यदि उपधारा (3) की नियुक्ति प्रक्रिया लागू होती हैं और-

(क) कोई पक्षकार किसी मध्यस्थ को नियुक्त करने में, दूसरे पक्षकार से ऐसा करने के किसी अनुरोध की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर असफल रहता है या

(ख) दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में असफल रहते है,तो नियुक्ति, किसी पक्षकार के अनुरोध पर, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जायेगी। (5) उपधारा (2) में निर्दिष्ठ किसी करार के न होने पर, एकमात्र मध्यस्थ वाले किसी मध्यस्थ में, यदि पक्षकार किसी मध्यस्थ पर, एक पक्षकार द्वारा दुसरे पक्षकार से किए गए किसी अनुरोध की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर इस प्रकार सहमत होने में असफल रहते है, तो नियुक्ति, किसी पक्षकार के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जायेगी।

(6) जहां पक्षकारों द्वारा करार पाई गई किसी नियुक्ति की प्रक्रिया के अधीन,-

(क) कोई पक्षकार उस प्रक्रिया के तहत अपेक्षित रूप में कार्य करने में विफल रहता हैं या,

(ख) पक्षकार अथवा दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के अधीन उनसे अपेक्षित किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते है या,

(ग) कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई संस्था है, उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी कृत्य का निष्पादन करने में विफल रहता हैं,

वहां कोई पक्षकार, मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था से जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया के किसी करार में नियुक्ति सुनिश्चित कराने के अन्य साधनों के लिए उपबन्ध न किया गया हो, आवश्यक उपाय करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

(7) उपधारा (4) या उपधारा (5)या उपधारा (6) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश एवं उनके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था को सौपें गए किसी विषय पर कोई

विनिश्चय अंतिम होगा।

(8) किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करने में मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था, निम्नलिखित का सम्यक रूप से ध्यान रखेगी-

(क) पक्षकारो के समझौते द्वार अपेक्षित मध्यस्थ की कोई अर्हता, और

(ख) अन्य बातें, जिनसे किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित किये जाने की संभावना है।

(9) किसी अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की दशा में, जहां पक्षकार विभिन्न राष्ट्रीयताओं के हैं वहा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा पदाभिहित व्यक्ति या संस्था, पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न किसी राष्ट्रीयता वाला कोई मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगें।

(10) मुख्य न्यायाधीश ऐसी योजना बना सकते हैं, जो वह उपधारा (4) या (5) या उपधारा (6) द्वारा सौंपे गए विषयों के निपटारे के लिए उचित लगे।

(11) जहां विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों या उनके पदाभिहितों से उप धारा (4) या उपधारा (5) या उप&धारा (6) के तहत एक से अधिक बार अनुरोध किए गए हैं, वहा केवल वही केवल मुख्य न्यायाधीश या उनका पदाभिहित ही, जिससे सुसंगत उपधारा के अधीन प्रथम बार अनुरोध किया गया है, ऐसे अनुरोध के बाबत विनिश्चय करने के लिए सक्षम हो।

(12) (क) जहां उपधारा (4), (5), (6), (7), (8) और (10) में निर्दिष्ट मामलें किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम में उद्भूत हैं, वहां उन उपधाराओं में "मुख्य न्यायाधीश" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति निर्देश है।

(ख) जहां उपधारा (4), (5), (6), (7), (8) और (10) में निर्दिष्ट मामलें किसी अन्य मध्यस्थता में उद्भूत होते हैं, वहा उन उपधाराओं में ''मुख्य न्यायाधीश'' के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति निर्देश है, जिनकी स्थानीय परिसीमाओं के भीतर धारा 2 की उपधारा 1 के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट प्रधान सिविल न्यायालय स्थित है और, जहां वह स्वंय उच्च न्यायालय ही उस खण्ड में निर्दिष्ट न्यायालय, वहां उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति निर्देश है।

8- उपधाराए (2), (3), (4), (5), और (6) महत्वपूर्ण उपधाराए हैं।

9- उपधारा (3) से (5) उन मामलों को संदर्भित करती हैं जहां कोई सहमत प्रकिया नही हैं। उपधारा (2) में यह प्रावधान हैं कि उपधारा (6) के अधीन रहते हुए पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थों को नियुक्त करने के लिए किसी प्रक्रिया पर करार करने के लिए स्वतंत्र है। उपधारा (6) उन प्रासंगिकताओ को निर्धारित करती है जिनमें कोई पक्षकार मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा पदाभिहित किसी व्यक्ति या संस्था से जब तक की नियुक्ति प्रक्रिया के किसी करार में नियुक्ति सुनिश्चित कराने के अन्य साधनों के लिए उपबन्ध न किया गया हो आवश्यक उपाय करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

उपधारा 6 जो प्रासंगिकताए बताती है वह यह है कि-

(क) कोई पक्षकार उस प्रक्रिया के तहत अपेक्षित रूप में कार्य करने में विफल रहता हैं, या

(ख) पक्षकार अथवा दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के अधीन उनसे अपेक्षित किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते है या,

(ग) कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कोई संस्था है, उस प्रक्रिया के तहत उसे

सौंपे गए किसी कृत्य का निष्पादन करने में विफल रहता हैं,

दूसरे शब्दों में तीसरी प्रासंगिकता समझौते के पक्षकारों एवं मध्यस्थ की नियुक्ति से सम्बंधित नही है।

10- उपधारा (6) में उल्लेखित महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति, एक पक्षकार मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक उपाय करने का अनुरोध कर सकता हैं" (महत्व देने के लिए रेखांकित) इस अभिव्यक्ति को उपधारा (8) के साथ पढ़ा जावे कि मुख्य न्यायाधीश या व्यक्ति या मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उनके द्वारा नामित संस्था को योग्यता और अन्य शर्ते दोनो को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए एक साथ ‘‘उचित स्थान’’ देना होगा।

11- धारा 11 की योजना को पढ़ने से पता चलता हैं कि इसमें समझोते की शर्तों की पालना करने को महत्व दिया गया है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय वह करने के लिए कह सकता हैं जो नहीं किया गया हैं। न्यायालय को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिए गए उपाय समाप्त हो गए हैं। जैसा कि श्री देसाई द्वारा यह तर्क दिया गया हैं, कि मुख्य न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नही है कि उनके द्वारा या उनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा संस्था नामित मध्यस्थ एवं मध्यस्थों को नियुक्त करे लेकिन साथ ही उन्हें मध्यस्थ की योग्यता एवं अन्य बातों को ध्यान में रखना होगा।

12- अभिव्यक्ति ’उचित सम्मान’ का अर्थ हैं कि विभिन्न परिस्थितियों को सावधानी पूर्वक ध्यान में रखा गया। अभिव्यक्ति ‘‘आवश्यक‘‘ के संबंध में सामान्य नियम के तौर पर यह कहा जा सकता है कि वे वस्तुए जो अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उचित एवं कानूनी तौर पर सहायक हो। आवश्यक मापदंडों के बारे में

कहा जा सकता है वो समुचित उपाय व कदम जो उठाए जाने जरूरी है।।

13- इन सभी मामलों में ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र नियुक्ति के लिए समझोते में प्रावधित मध्यस्थ की योग्यता एवं अन्य बातों का ध्यान नही रखा पुनः यह उल्लेखित करने की आवश्यकता नही है कि मध्यस्थ समझोते में अंकित मध्यस्थ या मध्यस्थों को नियुक्त किया जाना आवश्यक नही है लेकिन नियुक्ति के समय धारा-11 की उपधारा 8 में वर्णित दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। यदि ऐसा नही किया जाता है तो मध्यस्थ की नियुक्ति असुरक्षित हो जाती है। उपरोक्त परिस्थितियों में हम प्रत्येक केस में नियुक्ति को अपास्त करते है एवं मामलें को उच्च न्यायालय के पास निर्धारित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए नवीन नियुक्ति के लिए प्रतिप्रेषित करते है।

14- अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता हैं।

अपीलें निस्तारित की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सचिन गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।